

(घ) औद्योगिक विकास में कमी को रोकने के लिए सरकार ने 1998-99 की बजट अवधि में तथा उसके बाद औद्योगिक विकास को तीव्र करने तथा पुनरुज्जीवित करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किये हैं। बजट में घोषित उपायों के पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है :-

(1) कोयला तथा लिग्नाइट, पेट्रोलियम रिफाइनिंग तथा चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना,

(2) अनिवासी भारतीयों द्वारा समग्र निवेश की सीमा में 5% से बढ़ाकर 10% करना,

(3) घरेलू उद्योगों के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सीमा शुल्कों की विशेष अतिरिक्त शुल्क शुरू करके प्रशुल्क ढांचे को युक्तियुक्त बनाना,

(4) उप ऊर्जा, परिवहन तथा दूर संचार के लिए योजनागत परियोजनाओं को वर्ष 1997-98 के 45,252 करोड़ रु० (संशोधित अनुमान) के मुकाबले में वर्ष 1998-99 के 61,146 करोड़ रु० (बजट अनुमान) करके 35% तक बढ़ाया गया।

(5) विद्युत प्रशुल्कों को युक्तियुक्त करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य विद्युत विनियमन आयोग स्थापित करना,

(6) शहरी भूमि परिसीमन तथा विनियमन अधिनियम को रद्द करना जिससे निर्माण संबंधी गतिविधियां तेज होंगी और सीमेंट, इस्पात इत्यादि जैसी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी।

उद्योग को और गति देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित और उपाय घोषित किए हैं:-

(1) निर्यात में वृद्धि को पुनरुज्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई।

(2) सरकार ने हाल ही में निवेश में वृद्धि तथा पूंजी बाजार को पुनरुज्जीवित करने के लिए शेयरों की पुनः खरीद तथा अन्तः कार्पोरेट ऋण की अनुमति दी।

(3) औद्योगिक गतिविधियों को शीघ्र बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की गई जिससे व्याज दरों की वृद्धि से बचाव हुआ है।

(4) सरकार द्वारा तीन बड़े फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं को काउंटर गारंटियां दी गई हैं जिससे वित्तीय परिसमापन की आशा है और इस

प्रकार मौलिक तथा अन्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी।

(5) 28,000/- करोड़ रु० की लागत से 7,000 कि०मी० के छः मार्गीय राजमार्ग शुरू किये जायेंगे।

(6) सरकार बीमा क्षेत्र में विदेशी इक्विटी की अनुमति देने के लिए सहमत हो गई है। बीमा क्षेत्र के खुल जाने से अवस्थापरक क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक वित्त मुहैया होगा।

(7) सरकार औद्योगिक क्षेत्र की पुनर्स्थापना की जरूरत के प्रति जागरूक है और इन क्षेत्रों के सम्मुख आने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए नीतिगत उप रूकावटों पर सिफारिश करने के लिए 4 कार्यदल-इस्पात, पूंजीगत माल, व्यावसायिक वाहन तथा सीमेंट के लिए गठित किये हैं। इन कार्यदलों ने अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं। सरकार ने इस्पात निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सात निविष्टियों को विशेष सीमा शुल्क से छूट हेतु पहले ही एक अधिसूचना जारी कर दी है। अन्य क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत घोषणाएं शीघ्र ही किये जाने की आशा है ॥

#### Performance of PSUs

822. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of Central Public Sector Units in the country, State-wise;

(b) the number of PSUs making profit/loss separately, State-wise;

(c) the reasons for their sickness;

(d) the total number of workers in the sick PSUs; and

(e) the steps Government have taken for the revival of sick PSUs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHBIR SINGH BADAL): (a) to (d) There were 236 Central Public Sector Undertakings in operation as on 31.3.97 till which period the information is available of which 60 were sick enterprises registered with BIFR. In these units there were 3.87 lakh

employees. A statement indicating the number of operating PSUs making profit/loss, state-wise, during 1996-97, is enclosed (See below). The reasons for sickness are enterprise specific. However, some of the common reasons are resource crunch, erosion of networth, heavy interest burden, non-availability of raw materials, old and obsolete plant and machinery, outdated technology, low

capacity utilisation, excess manpower etc.

(e) The steps taken for the revival of sick PSUs are enterprise specific. However some of the general steps taken include professionalisation of Board management, periodic performance reviews, technology upgradation, organisational manpower and capital restructuring, formation of joint ventures-etc.

#### Statement

S.N o.	State	Number of PSUs			
		Profit making	Lost making	No profit/ No Lou	Total
1	Andaman & Nicobar Mandi	1	—	—	1
2.	Andhra Pradesh	9	3	—	12
3.	Arunachal Pradesh	—	—	—	1
4.	Assam	—	2	—	4
5.	Bihar	—	7	—	13
6.	Delhi	44	18	1	63
7.	Goa	—	—	—	1
8.	Gujarat	—	1	—	2
9.	Haryana	—	1	—	1
10.	Karnataka	—	7	—	16
11.	Kerala	—	—	—	5
12.	Madhya Pradesh	—	2	—	6
13.	Maharashtra	18	10	—	28
14.	Manipur	—	1	—	1
15.	Meghalaya	—	1	—	2
16.	Nagaland	—	1	—	1
17.	Orissa	—	3	—	5
18.	Pondicherry	—	—	—	1
19.	Punjab	—	1	—	1
20.	Rajasthan	—	3	—	6
21.	Tamil Nadu	—	3	—	7
22.	Uttar Pradesh	—	12	1	18
23.	West Bengal	12	28	—	40
24.	Others	—	—	1	1
TOTAL :		129	104	3	236

#### Growing sickness la SSIs

823. SHRI LAJPAT RAI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of growing sickness or closure of small scale units in the country;

(b) if so, the details of sick or closed units in the country as on date, Statewise;

(c) whether Government would

consider setting up a central agency or Bureau on the lines of B.I.F.R. which looks into the sickness of medium and large scale industries; and

(d) if so, the steps Government have taken in this direction?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) As per the latest data compiled by the Reserve Bank of India from the scheduled commercial banks, the total number of sick small scale units in the